

शिकायतों पर कार्रवाई करने की नीति

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग को लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों वाली शिकायतों की जांच करने अथवा जांच करवाने का अधिदेश प्राप्त है। आयोग, संबंधित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अथवा भारत सरकार के अधीन किसी भी अन्य भ्रष्टाचार-रोधी अन्वेषण एजेंसी के माध्यम से जांच करवा सकता है।

आयोग का अधिकार क्षेत्र

1. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संगठनों की केवल निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध ही शिकायत दी जा सकती है:-

- केन्द्रीय सरकारी मंत्रालय/विभाग
- केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
- राष्ट्रीयकृत बैंक, बीमा कंपनियाँ
- संसद के अधिनियम के माध्यम से स्थापित अथवा भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्त संगठन जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पत्तन न्यास तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि।
- दिल्ली, चण्डीगढ़, दमन तथा दीव, पुडुचेरी आदि सहित केन्द्रीय शासित प्रदेश।
- भारत सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सोसाइटी तथा स्थानीय प्राधिकरण।

2. निजी व्यक्तियों तथा राज्य सरकारों के संगठनों पर आयोग की कोई अधिकारिता नहीं है।

3. अधिकारियों की केवल निम्नलिखित श्रेणियों पर ही आयोग की सीधी अधिकारिता है:-

- अखिल भारतीय सेवा के सदस्य - संघ के कार्यों के संबंध में सेवारत
- केन्द्रीय सरकारी मंत्रालय/विभाग - समूह "क" अधिकारी
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अनुसूची 'क' तथा 'ख' - बोर्ड में मुख्य कार्यकारी तथा कार्यकारी और ई-8 तथा इससे ऊपर के अन्य अधिकारी

अनुसूची 'ग' तथा 'घ' - बोर्ड में मुख्य कार्यकारी तथा कार्यकारी और ई-7 तथा इससे ऊपर के अन्य अधिकारी

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक - वेतनमान V और इससे ऊपर के अधिकारी
- भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड तथा सिडबी - श्रेणी-घ तथा इससे ऊपर के अधिकारी
- सामान्य बीमा कंपनियां - प्रबंधक तथा इससे ऊपर के अधिकारी
- जीवन बीमा निगम - वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक तथा इससे ऊपर के अधिकारी
- सोसाइटी तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरण आदि - केन्द्रीय सरकार डी.ए. प्रतिमान पर (समय-समय पर यथा संशोधित) रू0 8700/- तथा अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी
- पत्तन न्यास/गोदी श्रमिक बोर्ड आदि - रू0 10,750/- तथा अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी (रू0 3750/- तथा अधिक संशोधन-पूर्व)

आयोग केवल ऐसे मामलों के संबंध में अपनी सलाह देगा जिनमें उपर्युक्त श्रेणी के अधिकारी शामिल हैं। अन्य मामलों के संबंध में, शिकायत को आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए संबंधित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजा जाएगा।

शिकायत देना

लिखित सम्प्रेषण/पत्र सीधे आयोग को संबोधित करके अथवा आयोग के पोर्टल www.portal.cvc.gov.in अथवा आयोग की वेबसाइट www.cvc.gov.in में होम पेज पर "शिकायत दर्ज करें" लिंक के अंतर्गत जाकर शिकायतें दी जा सकती है।

लिखित सम्प्रेषण/पत्र के माध्यम से भेजी गई शिकायतों में, मामले के विस्तृत विवरण/सूचना के साथ प्रेषक का पूर्ण डाक पता (मोबाइल/दूरभाष सं0, यदि कोई हो) होना चाहिए। आयोग के अधिकारियों के किसी ई-मेल आईडी पर भेजी गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी अथवा आयोग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

आयोग में शिकायतों पर की जाने वाली कार्रवाई

1. आयोग द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अथवा संबंधित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी के माध्यम से केवल उन शिकायतों का अन्वेषण करवाया जाएगा जो आयोग की अधिकारिता में आने वाले कर्मचारियों तथा संगठनों के विरुद्ध हैं तथा जिनमें भ्रष्टाचार का आरोप है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा (8) की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत आयोग अपने स्वयं के अधिकारी के माध्यम से भी किसी शिकायत की जांच करवा सकता है।

2. आयोग द्वारा अन्वेषण के लिए भेजी गई शिकायतों पर मुख्य सतर्कता अधिकारी को तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। अन्वेषण रिपोर्ट के आधार पर आयोग विवेक

का स्वतंत्र प्रयोग करने के पश्चात सलाह देता है । संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में लगभग 6 माह का समय लगता है । शास्ति लगाने में आगे और तीन से छह माह का समय लगता है ।

3. आयोग द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/मुख्य सतर्कता अधिकारी को एक शिकायत का अन्वेषण करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का निदेश दिए जाने पर शिकायतकर्ता को एक शिकायत संख्या दी जाएगी । शिकायतकर्ता आयोग की वेबसाइट www.cvc.nic.in पर प्रदर्शित 'शिकायत स्थिति' (complaint status) पर क्लिक करके, शिकायत पर की गई कार्रवाई की स्थिति देखने के लिए इस शिकायत संख्या का प्रयोग कर सकते हैं ।

4. आयोग में शिकायत एक बार दर्ज हो जाने पर, मामले में आगे पत्राचार नहीं किया जाएगा । तथापि, आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों का अन्वेषण हो रहा है तथा इनके तर्कपूर्ण निष्पादन के लिए कार्रवाई की गई है ।

5. निविदाओं के विरुद्ध शिकायतों के बारे में, यह स्पष्ट किया जाता है कि यद्यपि आयोग मामले का अन्वेषण करवाएगा परन्तु यह निविदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा । इसका उद्देश्य यह है कि संगठन में कार्य को न रोका जाए ।

6. चूंकि आयोग केवल भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई करता है अतः, आयोग को की गई शिकायतों का केन्द्र बिन्दु शिकायतों का समाधान नहीं होना चाहिए ।

7. शिकायतों में वास्तविक विवरण, सत्यापनीय तथ्य तथा सम्बद्ध मामले होने चाहिए । ये अस्पष्ट अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण सामान्य आरोपों वाली नहीं होनी चाहिए ।

8. शिकायत सीधे आयोग को सम्बोधित होनी चाहिए । आयोग को शिकायतें प्रतिलिपि के रूप में नहीं भेजी जानी चाहिए ।

9. आयोग अनाम/छद्मनाम शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता है ।

10. उपर्युक्त मानदंडों को पूरा न करने वाली शिकायतों को या तो फाईल कर दिया जाएगा अथवा आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेज दिया जाएगा । आयोग द्वारा संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई शिकायतों की स्थिति, शिकायतकर्ताओं को संबंधित संगठन/मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी से ज्ञात करनी चाहिए । आयोग मुख्य सतर्कता अधिकारियों से यह अपेक्षा करता है कि आयोग द्वारा आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु भेजी गई शिकायतों की मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा संवीक्षा की जाएगी तथा आयोग से शिकायत प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर इन शिकायतों पर कार्रवाई का निर्णय ले लिया जाएगा । तथापि, यदि मुख्य सतर्कता अधिकारी/संगठन द्वारा ऐसी किसी शिकायत को जांच/अन्वेषण हेतु लिया जाता है तो अन्वेषण पूरा करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन माह की समय-सीमा लागू होगी ।

पर्दाफाश शिकायतें (लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प)

भ्रष्टाचार का मामला प्रकट करते समय यदि कोई शिकायतकर्ता अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता है तो उसे लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प (पर्दाफाश प्रावधान के नाम से प्रसिद्ध) के अंतर्गत शिकायत देनी चाहिए। आयोग को न केवल शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखने का अधिदेश है अपितु इसे शिकायतकर्ता को किसी शारीरिक धमकी, उत्पीड़न अथवा अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने का अधिदेश भी है।

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

1. "लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प" के अंतर्गत शिकायतें केवल डाक द्वारा दी जा सकती हैं। लिफाफे पर मोटे शब्दों में "लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण" अथवा "पर्दाफाश" लिखा होना चाहिए। शिकायतकर्ता को पत्र के बीच में अपना नाम नहीं देना चाहिए। व्यक्तिगत विवरण पृथक रूप से दिया जाना चाहिए अथवा पत्र के सबसे ऊपर अथवा सबसे नीचे दिया जाना चाहिए ताकि इन्हें आसानी से छिपाया जा सके।
2. यदि किसी व्यक्ति का इस कारण उत्पीड़न किया जाता है कि उसने पर्दाफाश प्रावधानों के अंतर्गत शिकायत दर्ज की है तो वह मामले में समाधान प्राप्त करने के लिए आयोग के समक्ष आवेदन दे सकता है। तब आयोग शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए उचित रूप से हस्तक्षेप करेगा।
3. आयोग की वेबसाइट www.cvc.nic.in पर प्रदर्शित 'शिकायत स्थिति' (complaint status) पर क्लिक करके शिकायतकर्ता, अन्वेषण किए जाने तथा रिपोर्ट दिए जाने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को भेजी गई शिकायतों पर की गई कार्रवाई की स्थिति देखने के लिए आयोग द्वारा दी गई शिकायत संख्या का प्रयोग कर सकते हैं।

लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न
www.cvc.nic.in/faq.pdf

01.07.2019 को संशोधित
(004/वीजीएल/020[पार्ट])